Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 18, Issue No. 5, August-2021, ISSN 2230-7540

भारत में घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं की सुरक्षा के लिए मौजूदा कानूनों पर अध्ययन

Dr. Rajendra Prasad*

Assistant Professor, Law, Bundelkhand Degree College, Jhansi

सार – *संविधान का उद्देश्य न्याय, समानता और स्वतंत्रता प्राप्त करना सुनिश्चित करना है और इसे कैसे प्राप्त किया जाना है, इसका वर्णन मूल अधिकारों से संबंधित भाग III में और राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत से संबंधित भाग IV में भी किया गया है। मौलिक अधिकार मौलिक विशेषताओं के महत्वपूर्ण विचार के साथ संवैधानिक न्यायशास्त्र में एक केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। संविधान का भाग IV राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक समूह है जो लागू करने योग्य आकांक्षात्मक दिशानिर्देशों का एक समूह है जो सरकारी कार्यों के लिए लक्ष्य होना चाहिए। संविधान के तहत भारतीय महिलाओं के पास प्रभावशाली और सकारात्मक अधिकारों की एक विस्तृत श्रृंखला है। श्रीमती इंदिरा गांधी, हमारी दिवंगत प्रधान मंत्री ने एक बार टिप्पणी की थी, "हमारी महिलाओं को अन्य देशों की महिलाओं की तुलना में अधिक अधिकार हैं। लेकिन बड़े क्षेत्र हैं जहां महिलाएं पीड़ित हैं, जहां हो सकता है वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हैं।*

कुंजीशब्द – *महिला, संविधान*

----------X----------

प्रस्तावना

मानव समाज में महिलाओं की स्थिति-

किसी भी समाज का मूल्यांकन इस बात से किया जाता है कि उसमें महिलाओं की क्या स्थिति है? (डॉ. बी. आर. अम्बेडकर) किसी सभ्यता की भावना को समझने और उसकी उत्कृष्टता और सीमाओं की सराहना करने और उन्हें महसूस करने का सबसे अच्छा तरीका है कि समय-समय पर महिलाओं की स्थिति में विकास और परिवर्तन के इतिहास का अध्ययन किया जाए। इसलिए, अतीत के समाज को देखना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज महिलाओं की स्थिति और अधिकारों को प्रभावित करने वाले मानदंड और मूल्य अतीत में अपनी जड़ें जमा चुके हैं। युगों और संस्कृतियों की विविधता के माध्यम से महिलाओं का कोई व्यापक इतिहास नहीं है। महिलाओं का निरंतर इतिहास लिखने के अधिकांश प्रयास एक निश्चित समय और स्थान तक सीमित होते हैं। देर से, समाज में महिलाओं की स्थिति के अध्ययन ने बहुत महत्व प्राप्त किया है। हर समाज में महिलाओं की स्थिति न तो कोई नया मुद्दा है और न ही यह पूरी तरह से सुलझा हुआ है। मुलर बनाम ओरेगन में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इतिहास इस तथ्य का खुलासा करता है कि महिला हमेशा पुरुष पर निर्भर रही है। उन्होंने श्रेष्ठ शारीरिक शक्ति के द्वारा प्रारंभ में ही अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और विभिन्न रूपों में यह नियंत्रण कम होते हुए भी वर्तमान तक जारी है। इस प्रकार महिलाओं को हर समाज में पुरुषों से कमतर माना जाता था।

महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा का एक गहरी सामाजिक घटना के रूप में एक लंबा इतिहास रहा है। समाज द्वारा कुछ औपचारिक और अनौपचारिक प्रतिबंध हैं जिन्होंने इसे प्रोत्साहित किया है। यह देखा गया है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से पहले इसे एक माना जाता था।

दुनिया भर में, महिलाओं और लड़कियों को पारंपरिक और सांस्कृतिक प्रथाओं के हानिकारक और जीवन के लिए खतरा प्रभाव झेलना पड़ता है जो सांस्कृतिक और सामाजिक अनुरूपता और धार्मिक मान्यताओं की आड़ में जारी हैं, उदाहरणों में शामिल हैं: कन्या भ्रूण हत्या, बालिकाओं के साथ दुर्व्यवहार, सामाजिक उत्पीड़न, मानसिक यातना, शारीरिक हिंसा, महिलाओं के शरीर और मन को प्रभावित करने वाली क्रूरता इत्यादि।

www.ignited.in

मौजूदा कानूनों और कानूनी सहायता के स्रोतों की अनभिज्ञता

अधिकांश महिलाएं सुरक्षात्मक कानूनों या यहां तक कि उनके अस्तित्व से अनभिज्ञ हैं। निरक्षरता और कानूनी सेवाओं की खराब पहुंच के कारण, महिलाएं अक्सर अपने अधिकारों के बारे में अनभिज्ञ नहीं होती हैं। वास्तव में संवैधानिक जनादेश और सामाजिक वास्तविकता में परेशान करने वाली प्रवृत्तियों के बीच एक व्यापक अंतर को इंगित करने के लिए भारी सबूत हैं। सरकारी तंत्र और समाज इस समस्या के निहितार्थों से सहमत नहीं हैं।

समय की मांग है कि महिलाओं को उनके अधिकारों, संवैधानिक सुरक्षा उपायों और उनके उल्लंघन के मामले में उपलब्ध कानूनी प्रावधानों के बारे में जागरूक किया जाए। जमीनी स्तर पर महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा पर कानून बनाने की जागरूकता समाज के घरेलू हिंसा की समस्या से निपटने के तरीके में बदलाव लाने का एक साधन है। लेकिन मुख्य मुद्दा यह है कि समाज अभी भी घरेलू हिंसा को एक निजी मामला मानता है। वास्तव में, घरेलू हिंसा कोई समस्या भी नहीं है; यह केवल एक छोटा पारिवारिक झगड़ा है जिसे घर की चार दीवारों के भीतर सुलझाना चाहिए। पितृसत्ता के साथ-साथ शर्म की धारणा और महिलाओं की कामुकता से जुड़े तथाकथित सम्मान महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाओं में न्याय की खोज को और भी कठिन बना देते हैं।

आम तौर पर महिलाओं और विशेष रूप से निचली जाति की महिलाओं के बीच निम्न शैक्षिक और साक्षरता का स्तर पतियों पर उच्च स्तर की निर्भरता में तब्दील हो सकता है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा होने पर मदद लेने की अधिक अनिच्छा और अधिकारों और कानूनों के बारे में जागरूकता में कमी हो सकती है। इस प्रकार आर्थिक सशक्तिकरण, उच्च शिक्षा और सामाजिक व्यवहार में बदलाव और कानूनी सुधारों के साथ महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचा सकता है।

पीड़ित महिलाएं अक्सर अपने कानूनी अधिकारों से अनजान होती हैं। कानून की अज्ञानता आम जनता और विशेषकर महिलाओं में व्याप्त है। घरेलू हिंसा का अनुभव करने वाली अधिकांश महिलाओं तक अदालत प्रणाली नहीं पहुंचती है। घरेलू हिंसा के शिकार कानून की सरासर अज्ञानता के कारण चुप्पी साधे रहते हैं। अधिकांश महिलाएं बिना आवाज उठाए सारे अत्याचार सहती हैं। वकीलों, पुलिस, महिला संगठनों आदि जैसे अन्य लोगों के साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं को महिलाओं को चुप्पी तोड़ने और उन अत्याचारों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार करना चाहिए जिनमें घरेलू हिंसा शामिल है। उन्हें घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं और उनके पति और ससुराल वालों को उन्हें कम करने के लिए परामर्श देना चाहिए।

घरेलू हिंसा का समाधान अभियुक्तों को कठोर दंड देने में नहीं है, बल्कि महिलाओं के लिए विकल्प तैयार करने में है जिससे उन्हें मजबूत किया जा सके। कानून लागू करने वाली एजेंसियों को घरेलू हिंसा के मुद्दे पर अधिक प्रभावी ढंग से काम करना चाहिए और घरेलू हिंसा के पीड़ितों के लिए कानूनी प्रावधानों के बारे में जनता में जागरूकता पैदा करनी चाहिए। सहायक एजेंसियों को घरेलू हिंसा पर उपचारात्मक स्तर के बजाय निवारक स्तर पर अधिक काम करना चाहिए।

महिलाओं के बुनियादी मानवाधिकारों के संबंध में संवैधानिक परिप्रेक्ष्य

संविधान निर्माताओं ने महिलाओं की स्थिति पर पर्याप्त विचार किया और संविधान में विशेष प्रावधानों को शामिल करके उन्हें पुरुषों के समान अधिकार और स्वतंत्रता की गारंटी दी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में श्कानून के समक्ष समानताश् और सभी के लिए श्कानून के समान संरक्षणश् के एक सामान्य सिद्धांत की गारंटी दी गई है। इस अनुच्छेद में यह घोषित किया गया है कि राज्य भारत के भीतर किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।

कानून के समक्ष समानता

पहला मौलिक अधिकार भारतीय महिलाओं को समानता का दर्जा देता है। अभिव्यक्ति श्कानून के समक्ष समानताश् एक नकारात्मक अवधारणा है और इसका अर्थ है किसी भी व्यक्ति के पक्ष में किसी विशेष विशेषाधिकार का अभाव, चाहे उसकी रैंक या स्थिति कुछ भी हो, और सामान्य कानून के लिए सभी वर्गों की समान अधीनता। लिंग, जाति, पंथ, धर्म, वंश आदि के आधार पर समानों के बीच कोई भेद नहीं किया जाएगा। यह सरकार की मनमानी शक्ति पर प्रहार करता है। इसलिए जब भी किसी महिला को समानता के अधिकार से वंचित किया जाता है तो वह न्याय का दरवाजा खटखटा सकती है और इस अनुच्छेद के तहत सुरक्षा का दावा कर सकती है।

कानून का समान संरक्षण

अनुच्छेद 14 का एक अन्य पहलू यह भी है कि यह कानून के समान संरक्षण की गारंटी भी देता है। कानून की समान सुरक्षा की अभिव्यक्ति एक सकारात्मक अवधारणा है और इसका

www.ignited.in

तात्पर्य समान परिस्थितियों में उपचार की समानता से है। इसका मतलब है कि समान परिस्थितियों या परिस्थितियों में पुरुषों और महिलाओं के साथ बिना किसी भेदभाव के समान व्यवहार किया जाना चाहिए। जब भी, किसी भी क्षेत्र में यदि पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग नियम हैं, तो महिलाएं अनुच्छेद 14 के तहत राहत की मांग कर सकती हैं।

स्वतंत्रता का अधिकार

अनुच्छेद 19 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने के लिए, संघ और संघ बनाने के लिए, भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए, भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से में रहने और बसने और किसी भी पेशे का अभ्यास करने की गारंटी देता है। या कोई व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय करना। यह नागरिक अधिकार एक लोकतांत्रिक समाज में मनुष्य के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक है। इसे समानता के अधिकार के साथ सबसे जरूरी अधिकारों में से एक माना गया है। कार्यस्थल पर घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न के संदर्भ में महिलाओं के इस मौलिक अधिकार का अक्सर अन्य अधिकारों की तुलना में उल्लंघन किया जाता है। घरेलू हिंसा के शिकार विवाहित महिलाओं को पता चलता है कि संविधान उन्हें भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने के अधिकार की गारंटी देता है, लेकिन उनके पति और परिवार इस अधिकार को मान्यता नहीं देते हैं। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य में '! राजस्थान के एक गांव में एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ बेरहमी से रेप का मामला सामने आया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कार्यस्थलों पर कामकाजी महिलाओं का यौन उत्तराधिकार अनुच्छेद 19(स)(ह) के तहत किसी भी पेशे का अभ्यास करने या कोई व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय करने के पीड़ित के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए बाध्यकारी निर्देश जारी किए।

घरेलू हिंसा: मार्गी लैयर्ड मैक्यू की एक संदर्भ पुस्तिका (दूसरा संस्करण, 2008) ऐतिहासिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और कानूनी दृष्टिकोण से इस मुद्दे की खोज करके घरेलू हिंसा की एक व्यापक और गहन परीक्षा प्रदान करती है। यह घरेलू हिंसा के बारे में इसकी परिभाषा, संभावित कारणों और सीमा, कमजोर व्यक्तियों, उपलब्ध सेवाओं और व्यवहार्य समाधानों के बारे में व्यापक जानकारी भी देता है।

वायलेंस इन द होम: मल्टीडिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव्स, केरेल कुर्स्टस्वैन्जर और जैकलीन एल. पेटकोस्की (2003) द्वारा लिखित, पारिवारिक हिंसा के सैद्धांतिक स्पष्टीकरण की समीक्षा करता है और फिर सिद्धांत को व्यवहार से जोड़ता है। यह उन प्रणालियों और संस्थानों को देखता है जो परिवारों के साथ बातचीत करते हैं, जिन्हें सुरक्षा और सेवाएं प्रदान करना अनिवार्य है, और पारिवारिक हिंसा और सार्वजनिक नीति के आसपास की मौजूदा बहसों की पड़ताल करता है। इसके अलावा, पुस्तक अपमानजनक संबंधों में शक्ति की भूमिका की भी पड़ताल करती है और दुरुपयोग के लघु और दीर्घकालिक परिणामों पर विचार करती है।

महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा की स्थिति पितृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था से उत्पन्न होती है जिसमें पति का अपनी पत्नियों पर अधिकार एक ष्विवाह शक्ति संबंध और पत्नियों और माताओं के लिए एक अधीनस्थ स्थिति (डोबाश और दोबाश, 1979) बनाता है। महिलाओं के खिलाफ बीस वर्षों से अधिक सक्रियता के बावजूद, बड़ी संख्या में महिलाओं का जीवन असुरक्षितता की निरंतरताष् पर टिका हुआ है (स्टैंको, 1990)

महिलाओं से संबंधित गतिविधियों में शामिल। यह अध्ययन 2007 और 2010 के दौरान मणिपुर के इंफाल (पूर्व) और इंफाल (पश्चिम) जिलों में अदालतों में निपटाए गए पारिवारिक हिंसा के मामलों से एकत्र किए गए आंकड़ों और आश्रय गृहों में रहने वाली पीड़ित महिलाओं के साक्षात्कार से एकत्रित आंकड़ों पर आधारित है। (स्वाधार) और ऐसी महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए काम करने वाली विभिन्न एजेंसियां। हालांकि, प्रताड़ित महिलाओं के अनुभवों तक पहुंच प्राप्त करने का कार्य बहुत चुनौतीपूर्ण था।

घरेलू हिंसा की जटिलता और संवेदनशीलता और जांच में शामिल विविध नैतिक मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, आयु, वैवाहिक स्थिति, शिक्षा, व्यवसाय, आय सहित पृष्ठभूमि की जानकारी से युक्त साक्षात्कार अनुसूची तैयार करके एक अर्ध-संरचित साक्षात्कार पद्धति का पालन किया गया। और घरेलू हिंसा अनुसंधान के लिए के नैतिक और सुरक्षा दिशानिर्देशों के अनुसार घरेलू हिंसा से संबंधित प्रश्नों का अनुसंधान में उपयोग किया गया था। इसने शोधकर्ता को एक संवादात्मक दृष्टिकोण की पेशकश की जिसने शोधकर्ता को मौके पर ही संदेह और दोषों को दूर करने और व्यक्तिगत अवलोकन के माध्यम से स्थिति को समझने का पर्याप्त अवसर दिया। इस प्रकार शोधकर्ता के लिए साक्षात्कार के दौरान अधिकतम जानकारी एकत्र करना संभव हो गया। दुर्व्यवहार करने वाली महिलाओं के साथ आमने-सामने की बातचीत ने वर्तमान कार्य के डेटा का प्राथमिक स्रोत प्रदान किया। इसके अलावा, शोधकर्ता ने सेवा प्रदाताओं और कुछ महिला संगठनों के पदाधिकारियों से जानकारी एकत्र करने के लिए एक साक्षात्कार गाइड का भी उपयोग किया।

www.ignited.in

घरेलू हिंसा के साथ महिलाओं के अनुभवों के बारे में जानने के लिए एक सर्वेक्षण के रूप में उत्तरदाताओं के लिए साक्षात्कार के माध्यम से सर्वेक्षण पेश किया गया था जो मणिपुर राज्य में अन्य महिलाओं के लिए सहायक हो सकता है। साथ ही उत्तरदाताओं को आश्वस्त किया गया कि सर्वेक्षण विशुद्ध रूप से अकादमिक उद्देश्य के लिए था और सभी प्रतिक्रियाओं को पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा। उन्हें यह भी बताया गया कि उनकी भागीदारी पूरी तरह से स्वैच्छिक थी।

विश्लेषण किसी स्केलिंग तकनीक पर आधारित नहीं है। यह केवल एक गुणात्मक मूल्यांकन है जो घरेलू हिंसा की समस्या के प्रति समाज के दृष्टिकोण को दर्शाता है। कम्प्यूटर की सहायता से परिणामों को दर्शाने के लिए दंड आरेख बनाए गए। चूंकि अनुसंधान डिजाइन खोजपूर्ण प्रकृति का है, नमूना डेटा के लिए सांख्यिकीय परीक्षणों का उपयोग नहीं किया जाता है।

मणिपुर के इंफाल (पूर्वी) जिले में घरेलू हिंसा की शिकार 11 (ग्यारह) महिलाओं का घरेलू हिंसा के अनुभव के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए साक्षात्कार लिया गया। उन सभी की शादी हो चुकी थी। उनमें से 3 (तीन) ने कहा कि उनके पति और ससुराल वालों ने उन्हें घरेलू हिंसा का शिकार बनाया है जबकि 8 (आठ) उत्तरदाताओं ने कहा है कि उनके पति अपराधी थे। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने किस प्रकार की हिंसा का अनुभव किया है, तो उनमें से 4 (चार) ने अपने पतियों द्वारा पीटे जाने और थप्पड़ मारने की बात कही। कुल मिलाकर, 3 (तीन) उत्तरदाताओं ने कहा कि उन्होंने मौखिक और भावनात्मक शोषण और आर्थिक हिंसा के साथ-साथ शारीरिक हिंसा के अन्य रूपों का अनुभव किया है जैसे कि उनके पति के रिश्तेदारों द्वारा लात मारी, धक्का देना और धक्का देना। इन उत्तरदाताओं द्वारा अनुभव की गई शारीरिक हिंसा के कृत्यों में शामिल हैं पीटना, थप्पड़ मारना, उसका गला घोंटना, लात मारना, मुक्का मारना, धक्का देना और हाथ घुमाना। 4 (चार) उत्तरदाताओं ने बताया कि उनके साथ भावनात्मक हिंसा की गई। यह पूछे जाने पर कि क्या उनके साथ यौन हिंसा हुई है, चार उत्तरदाताओं ने सकारात्मक उत्तर दिया, जबकि शेष सात उत्तरदाताओं ने विषय के साथ सहज नहीं थे और इसलिए प्रश्न को छोड़ना पसंद किया। उनके द्वारा बताए गए यौन हिंसा के कृत्यों में जबरन संभोग और जबरन पोर्नाग्राफी दिखाना शामिल था। सभी उत्तरदाताओं ने मौखिक और भावनात्मक हिंसा का अनुभव किया है। यह पूछे जाने पर कि उनके पति की हिंसक विशेषताओं के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, उत्तरदाताओं ने विभिन्न कारण बताए। उत्तरदाताओं में से केवल 2 (दो) ने अपने पतियों की शराब पीने की आदतों का हवाला दिया। 3 (तीन) उत्तरदाताओं ने कहा कि पर्याप्त स्त्रीधन नहीं लाने के लिए उनके ससुराल वाले अक्सर ताना मारते थे। 4 (चार) उत्तरदाताओं के पतियों की या तो एक और पत्नी रहती है, या वे विवाहेतर संबंधों में शामिल थे।

उत्तरदाताओं में से 8 (आठ) 10-11 वर्षों से अधिक समय से अपमानजनक संबंध में हैं। इतने लंबे समय तक हिंसा को सहन करने के लिए उन्होंने जिन कारणों का हवाला दिया, वे थे अपने-अपने पतियों पर उनकी आर्थिक निर्भरता, अपने बच्चों का कल्याण और मौ हलकपी (एक विवाहित महिला जो उसके पास लौट आई है) के रूप में लेबल किए जाने के सामाजिक कलंक का सामना नहीं करना चाहती। अपने पति से माता-पिता का घर)। एक प्रतिवादी ने अपने पति को छोड़ दिया जब वह दूसरी महिला को अपनी पत्नी के रूप में लाया और अपने दो बच्चों को वापस रखते हुए उसे अपने घर से बाहर कर दिया। दूसरे मामले में, प्रतिवादी ने अपने अपमानजनक पति को छोड़ने का फैसला किया क्योंकि कई सालों से, वह खुद को और अपनी तीन बेटियों को पालने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं दे रहा है और एक लड़के को जन्म नहीं देने के लिए उसे ताना मार रहा है। ये दो मामले पीड़िता की कई कारणों से शिकायत करने की अनिच्छा दिखाते हैं, जैसे उसके धार्मिक और सामाजिक मूल्यों के अपने पति को खुद से श्रेष्ठ मानने के लिए, यह स्वीकार करने में शर्म की बात है कि उसकी शादी में कुछ गड़बड़ है, उसके दुर्व्यवहार को प्रचार देने की अनिच्छा पति पर पूर्ण आर्थिक निर्भरता और समर्थन का कोई अन्य स्रोत नहीं होना, घर में हिंसा को सामान्य रूप से स्वीकार करना, अपराधी से प्रतिशोध का डर, कानून की अज्ञानता, पुलिस या अदालतों के साथ पारिवारिक मामलों पर चर्चा करने में शर्मिंदगी, टूटने का डर -विवाह, बच्चों, सुरक्षा या स्थिति, और कानूनी उपायों में विश्वास की कमी के बारे में संबंधित चिंताओं के साथ।

यह तर्क दिया जाता है कि घरेलू हिंसा के शिकार विशेष रूप से इस धारणा का विरोध करते हैं कि उन्हें अपने अपराधियों को छोड़ देना चाहिए और केवल अंतिम उपाय के रूप में बाहरी मदद लेनी चाहिए जब हिंसा असहनीय हो जाती है क्योंकि पुनर्वास प्रक्रियाएं लंबी खींची जाती हैं। सभी उत्तरदाताओं ने एक दोस्त या रिश्तेदार की ओर रुख किया, जिन्होंने तब उन्हें महिलाओं के मुद्दों पर काम करने वाले महिला संगठनों या गैर सरकारी संगठनों से संपर्क करने की सलाह दी थी। उत्तरदाताओं ने परामर्श के अपने अनुभव साझा किए। विकास के लिए महिला कार्य एक ऐसा एनजीओ है जो महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर काम कर रहा है। जब कोई घरेलू हिंसा पीड़ित उनके पास आती है, तो वे घरेलू हिंसा के कथित कृत्यों की वास्तविकता का पता लगाने के लिए आमतौर पर पीड़ित के

www.ignited.in

साथ-साथ पति और/या पड़ोस में ससुराल वालों की पूरी पृष्ठभूमि की जांच करते हैं। उसके बाद, परामर्श सत्र इस प्रकार किए जाते हैं। कई बार महिला की शिकायत झूठी और बेबुनियाद निकल जाती है। ऐसे में जीवनसाथी के बीच किसी गलतफहमी या समस्या को दूर करने के लिए काउंसलिंग की जाती है। घरेलू हिंसा के वास्तविक मामलों में, हिंसा की गंभीरता के आधार पर या पीड़ित की इच्छा के अनुसार, मामला या तो इंफाल (पूर्वी) जिले के सेवा प्रदाताओं या सुरक्षा अधिकारियों को भेजा जाता है। ज्यादातर मामलों में, परामर्श घरेलू हिंसा का समाधान खोजने की दिशा में एक सुलहकारी दृष्टिकोण अपनाता है। जब पीड़ितों के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होती है, तो उन्हें जिले के शेल्टर होम या अन्य अस्थायी निवास स्थान में रहने का विकल्प दिया जाता है।

मणिपुर के इंफाल (पश्चिम) जिले में प्राथमिक आंकड़ों के संग्रह के लिए, 19 (उन्नीस) महिलाओं, सभी विवाहित जो अपने वैवाहिक घरों में घरेलू हिंसा का शिकार हुई हैं, उनके घरेलू हिंसा के अनुभव के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए उनका साक्षात्कार लिया गया। उत्तरदाताओं में से 3 (तीन) ने कहा कि 16 (सोलह) उत्तरदाताओं के मामले में उनके पति और ससुराल वालों ने उन्हें घरेलू हिंसा का शिकार बनाया है, जबकि पति अपराधी थे। 4 (चार) उत्तरदाताओं ने कहा कि उन्होंने कई प्रकार की शारीरिक हिंसा का अनुभव किया है जैसे कि उनके पतियों द्वारा पीटा जाना, थप्पड़ मारना, लात मारना, धक्का देना और धक्का देना। इस प्रकार इन उत्तरदाताओं द्वारा अनुभव की गई शारीरिक हिंसा के कृत्यों में पीटना, थप्पड़ मारना, उसे गला घोंटने की कोशिश करना, लात मारना, मुक्का मारना, धक्का देना और हाथ घुमाना शामिल है। 9 (नौ) उत्तरदाताओं ने कहा कि उनके साथ यौन हिंसा हुई है, जबकि शेष 10 (दस) उत्तरदाताओं ने कहा कि वे इस तरह की हिंसा के अधीन नहीं थे। उनके द्वारा बताए गए यौन हिंसा के कृत्यों में जबरन संभोग और जबरन पोर्नाग्राफी दिखाना शामिल था। एक विशेष मामले में, प्रतिवादी को अपने पति को अपनी दूसरी पत्नी के साथ अपना बिस्तर साझा करते हुए देखने के लिए कहा गया था। सभी मामलों में, उत्तरदाताओं ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने मौखिक और भावनात्मक हिंसा का अनुभव किया है। यहां यह ध्यान दिया जा सकता है कि अधिकांश मौखिक और भावनात्मक हिंसा पति के रिश्तेदारों द्वारा की गई थी। वे शायद ही कभी शारीरिक हिंसा का सहारा लेते हैं।

इंफाल (पूर्व) के मामलों के विपरीत, इम्फाल (पश्चिम) जिले में अधिकांश उत्तरदाताओं, संख्या में 14 (चौदह) ने शादी के 2 साल के भीतर अपने वैवाहिक घरों के अंदर अपने उत्पीड़न को सार्वजनिक कर दिया है। इसमें से 9 (नौ) अपने पति से अलग होना चाहती थीं। विभिन्न कारक जो एक महिला को परिवार में अपने खिलाफ हिंसा को छिपाने और हिंसक संबंध में रहने के लिए मजबूर करते हैं, वे हैं वैकल्पिक समर्थन प्रणाली की कमी, आत्म-छवि, सामाजिक कलंक और निर्भरता, छोटे बच्चों की उपस्थिति और अकेले रहने का डर और शर्मिंदगी। स्वीकार करें कि वह इतने लंबे समय तक इतनी बुरी स्थिति में रही है। 5 (पांच) उत्तरदाता अपने पति के पास वापस जाना चाहते थे। अपने अपमानजनक भागीदारों के पास लौटने की यह प्रवृत्ति मुख्य रूप से आर्थिक निर्भरता है। इसके अलावा, वे अपने सामाजिक परिणामों के कारण तलाक को मंजूरी नहीं देते हैं। इसके अलावा, वे अपने पतियों के सुधार के वादे को स्वीकार करने को तैयार हैं। गैर सरकारी संगठनों, सेवा प्रदाताओं या सुरक्षा अधिकारियों के किसी भी अनुवर्ती अभ्यास के अभाव में, एक अपमानजनक साथी के पास वापस जाने का एक बुद्धिमान निर्णय नहीं होगा।

निष्कर्ष

निष्कर्ष यह निकलता है कि महिलाएं हमेशा पुरुषों के हाथों घोर और गंभीर हिंसा का शिकार रही हैं। महिलाओं के खिलाफ हिंसा की जड़ें एक ऐसे समाज में निहित हैं, जिसमें महिलाओं को पुरुषों की तुलना में नीचा माना जाता है। उन्हें सस्ते, अकुशल और माध्यमिक श्रम के स्रोत के रूप में माना जाता है जिसे पुरुषों की आवश्यकता के अनुरूप काम पर रखा जा सकता है और निकाल दिया जा सकता है। महिलाओं को जन्म से ही यह मानने के लिए मजबूर किया जाता है कि वे पुरुषों से कमतर हैं। वे अपने पतियों की बैटरी को अपना भाग्य मानती हैं। महिलाओं को न केवल उनके कष्टों के बारे में चुप रहने के लिए सामाजिक रूप दिया जाता है बल्कि उन्हें यह महसूस कराया जाता है कि एक महिला होने के नाते उन्हें असहनीय सहन करना चाहिए। पारंपरिक मानदंड और मूल्य उन्हें घरेलू हिंसा को स्वीकार करना, सहन करना और यहां तक कि तर्कसंगत बनाना सिखाते हैं।

यह कहा जा सकता है कि घरेलू हिंसा के अपराधी अपने बचे लोगों पर सत्ता और नियंत्रण चाहते हैं। जो महिलाएं घरेलू हिंसा से बची हैं, उनके साथ अक्सर लंबे समय तक दुर्व्यवहार किया जाता रहा है। दुर्व्यवहार आम तौर पर बढ़ता है, इसमें अक्सर भावनात्मक और शारीरिक शक्ति हासिल करने और उत्तरजीवी पर नियंत्रण पाने के लिए अपराधी द्वारा उपयोग किए जाने वाले शारीरिक हिंसक कृत्यों के साथ बार-बार भावनात्मक दुर्व्यवहार शामिल होता है। दुर्व्यवहार करने वाले आम तौर पर अचानक क्रोध से कार्य नहीं करते हैं, उनकी हिंसा की गणना अक्सर और जानबूझकर की जाती है और इसमें

www.ignited.in

अक्सर मनोवैज्ञानिक धमकी, जबरदस्ती और धमकियां शामिल होती हैं।

घरेलू हिंसा को महिलाओं के सबसे बुनियादी अधिकारों के उल्लंघन के रूप में माना जाता है, इसे पारिस्थितिक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। यह एक स्वास्थ्य, कानूनी, आर्थिक, शैक्षिक, विकासात्मक और मानवाधिकार समस्या है। एक लुप्तप्राय प्रजाति बनने से पहले हमारे बेहतर हिस्सों को बचाने के लिए कठोर कदम उठाए जाने चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. आचार्य, एन. के. घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 से महिलाओं के संरक्षण पर टिप्पणी {2श्“ एड।, 2007), हैदराबाद, एशिया लॉ हाउस

2. ए.एस. अल्टेकर, हिंदू सभ्यता में महिलाओं की स्थिति: प्रागैतिहासिक टाइम्स से वर्तमान दिवस तक, (1978), मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली

3. एग्नेस, फ्लाविया, वीमेन एंड लॉ इन इंडिया, (2006), ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दबाएँ।

4. आहूजा, राम, महिलाओं के खिलाफ हिंसा, (1998), रावल प्रकाशन

5. अग्नि, फ्लानिया, कानून और लिंग असमानता, (2001), ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली

6. अल्फ्रेड डी सूजा, वीमेन इन कंटेम्पररी इंडिया: ट्रेडिशनल इमेजेज एंड चैंजिंग रोल्स, (1977), मनोहर बुक सर्विस, नई दिल्ली

7. अम्मू जोसेफ और कल्पना शर्मा, किसकी खबर? द मीडिया एंड वूमेन इश्यू, (1994), सेज पब्लिकेशन्स, इंडिया प्रा। लिमिटेड, नई दिल्ली

8. अंजू व्यास और सुनीता सिंह, भारत में महिला अध्ययन, (1993), सेज पब्लिकेशन इंडिया प्रा। लिमिटेड, नई दिल्ली

9. अग्रवाल, एच.ओ., मानव अधिकार अनुबंधों का कार्यान्वयन, इलाहाबाद, 1983

10. अल-इस्सा, शिरीन कुडचेडकर सबीना, महिलाओं के खिलाफ हिंसा: हिंसा के खिलाफ महिलाएं, दिल्ली (2000)

11. अली बेग तारा, भारत की महिला शक्ति, (1976), एस. चंद एंड कंपनी, प्रा। लिमिटेड

12. बी डी भट्ट और एस आर शर्मा, महिला शिक्षा और सामाजिक विकास, (1992), कनिष्क पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली

Corresponding Author

Dr. Rajendra Prasad*

Assistant Professor, Law, Bundelkhand Degree College, Jhansi

www.ignited.in